न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0:–256/2009
CIS NO. TS-168/2018

मृतक दीनानाथ सिंह के विधिक वारिसान एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

शेख कमरूल एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
05.02.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 22.11.2023 संबंधित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 22.11.2023 में कहा गया है कि वादीगण ने प्रस्तुत वाद वादग्रस्त भूमि पर अपनी हकियत की घोषणा हेतु तथा तथाकथित बयनामा दस्तावेज नथुनी प्रसाद बनाम शेख कमरूल वगैरह दिनांक 22.05.2008 को शुन्य घोषित करने वास्ते दाखिल किया है। वादीगण द्वारा बयनामा दस्तावेज गौरी शंकर प्रसाद गुप्ता बनाम दीनानाथ सिंह दिनांक 11.09.2007 की सच्ची प्रतिलिपि तथा बयनामा दस्तावेज नथुनी प्रसाद बनाम शेख कमरूल वगैरह दिनांक 22.05.2008 की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल किया है। दोनों दस्तावेज वर्तमान वाद के उचित निर्णय हेतु आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा लोक दस्तावेज है। जिसे साक्ष्य हेतु ग्रहण कर प्रदर्श अंकित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। वादीगण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति है। कानून की जानकारी न होने के कारण समय पर दोनों दस्तावेज दाखिल कर प्रदर्श अंकित नही कराये है। दोनों दस्तावेजों को न्यायालय द्वारा ग्रहण कर प्रदर्श अंकित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दोनों दस्तावेजों की सच्ची प्रतिलिपि को ग्रहण करते हुये प्रदर्श अंकित करने की कृपा करें। इसके लिए वादीगण श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगें। प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 02.12.2023 को दाखिल कर वादीगण के आवेदन को कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से खारिज योग्य बताया तथा कहा कि वादीगण के द्वारा अपना बहस समाप्त	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0:–256/2009
CIS NO. TS-168/2018

मृतक दीनानाथ सिंह के विधिक वारिसान एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

शेख कमरूल एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 05.02.2024	किया जा चूका है तथा वाद प्रतिवादीगण की बहस हेतु निर्धारित है। अतः वादीगण को कोई कागजात दाखिल करने का अधिकार नही है। वादीगणों को कागजात दाखिल करने के लिए वाद बिन्दु निर्धारण तक ही अवसर प्राप्त था, जो वर्षो पहले समाप्त हो चुका है। वादीगण द्वारा विलंब का कोई उचित कारण नही दिया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। दाखिल दस्तावेज वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज समय से दाखिल नही किये गये है परंतु फिर भी न्यायहित में मो0–2500/– रूपये हर्जे पर वादीगण द्वारा दाखिल दस्तावेजों को ग्रहण करते हुए प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक कमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 15.02.2024 वास्ते बहस हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	